

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB SECTION (i)]

Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi, the 9th September, 2015

G.S.R. ____ (E). - In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with section 398 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions:-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Companies Act, 2013;

(b) "Annexure" means annexures appended to these rules;

(c) "Documents and forms" means the documents and forms required to be filed with any authority as specified under the Act or rules or regulations made thereunder;

(d) "Extensible Business Reporting Language" (XBRL), means a standardised language for communication in electronic form to express, report or file financial information by the companies under the Act;

(e) "Taxonomy" means in XBRL, an electronic dictionary for reporting the business data as approved by the Central Government in respect of any documents or forms indicated in these rules.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and said rules.

3. Filing of financial statement with Registrar:- The following class of companies shall file their financial statement and other documents under section 137 of the Act, with the Registrar in e-form AOC-4 XBRL given in Annexure-I for the financial years commencing on or after 1st April, 2014 using the XBRL taxonomy given in Annexure II, namely:-

- (i) all companies listed with any Stock Exchange(s) in India and their Indian subsidiaries; or
- (ii) all companies having paid up capital of rupees five crore or above;
- (iii) all companies having turnover of rupees hundred crore or above; or
- (iv) all companies which were hitherto covered under the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2011:

Provided that the companies in Banking, Insurance, Power Sector and Non-Banking Financial companies are exempted from XBRL filing.

4. Filing of cost audit report – A company required to furnish cost audit report and other documents to the Central Government under sub-section (6) of section 148 of the Act and rules made thereunder, shall file such report and other documents using the XBRL taxonomy given in Annexure-III for the financial years commencing on or after 1st April, 2014 in e-Form CRA-4 specified under the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014.

FORM NO. AOC- 4 XBRL

[Pursuant to section 137 of the Companies Act, 2013 and rule 12(2) of Companies (Accounts) Rules, 2014]



Form for filing XBRL document in respect of financial statement and other documents with the Registrar

Language ☐ English ☐ Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

Note -All fields marked in * are to be mandatorily filled.

Authorised capital of the company as on the date of filing

Number of members of the company as on the date of filing

1. (a) *Corporate identity number (CIN) of company

Pre-fill

(b) Global location number (GLN) of company

2. (a) Name of the company

(b) Address of
registered office
of the company

(c) *e-mail id of the company

3. * Financial year to which financial statements relates

From

(DD/MM/YYYY)

To

(DD/MM/YYYY)

4.(a)*Date of Board of Directors' meeting in which financial statements are approved

(DD/MM/YYYY)

(b) (i) *Nature of financial statements

(ii) Nature of revision ☐ Financial statement ☐ Directors Report ☐ Both

(iii) Whether provisional financial statements filed earlier ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable

(iv) Whether adopted in adjourned AGM ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable

(v) Date of adjourned AGM in which financial statements were adopted

(vi) SRN of form INC-28

(vii) SRN of form AOC-4/AOC-4 XBRL

(viii) Date of order of competent authority

(DD/MM/YYYY)

5.(a) Whether Annual General Meeting (AGM) is held ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable

(b) If yes, date of AGM

(DD/MM/YYYY)

(c) *Due Date, of AGM

(DD/MM/YYYY)

(d) *Whether any extension for financial year or AGM granted ☐ Yes ☐ No

(c) If yes, due date of AGM after grant of extension (DD/MM/YYYY)

6. *Whether Schedule III of the Companies Act, 2013 is applicable ☐ Yes ☐ No

7. *Type of Industry

8. *Whether consolidated Financial Statements Required or Not ☐ Yes ☐ No

9. (a) In case of a government company, whether Comptroller and Auditor General of India (CAG of India) has commented upon or supplemented the audit report under section 143 of the Companies Act, 2013 ☐ Yes ☐ No

(b) Provide details of comment(s) or supplement(s) received from CAG of India

(c) Director's reply(s) on comments received from CAG of India

(d) Whether CAG of India has conducted supplementary or test audit under section 143 ☐ Yes ☐ No

10. *Whether Secretarial Audit is applicable. ☐ Yes ☐ No

11. *Whether detailed disclosure with respect to Director's report under section 134(3) is attached ☐ Yes ☐ No

Attachments

1. * XBRL financial statements duly authenticated as per section 134 (including Board's report, auditors' report and other documents)
2. XBRL document in respect of Consolidated financial statement
3. Statement of subsidiaries as per section 129-Form AOC-I (To be attached in respect of Foreign subsidiaries)
4. Statement of the fact and reasons for not adopting balance sheet in the annual general meeting (AGM)
5. Statement of the fact and reasons for not holding the AGM
6. Approval letter of extension of financial year or AGM
7. Supplementary or test audit report under section 143
8. Details of comments of CAG of India
9. Optional attachments (s)- if any

List of attachment(s)

Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach
Attach

Remove attachment

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide *resolution number *dated to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.
2. It is confirmed that the attached XBRL document(s) are the XBRL converted copy(s) of the duly signed Financial

Statements and all other documents which are required to be annexed or attached to the Financial Statements as required under Section 137 of the Companies Act, 2013. It is further confirmed that such document(s) have been prepared using the XBRL taxonomy as notified under Companies (Filing of documents and forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015

3. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

*To be digitally signed by

DSC BOX

*Designation

*Director identification number of the director; or
PAN of the manager or CEO or CFO; or
Membership number of the secretary

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that:

1. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;
2. It is further certified that the attached XBRL document(s) fairly present, in all material respects, the audited financial statements of the company, in accordance with the XBRL taxonomy as notified under Companies (Filing of documents and forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015
3. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;
4. It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.

☐ Chartered accountant (in whole-time practice) or
☐ Company secretary (in whole-time practice)

☐ Cost accountant (in whole-time practice) or

Whether associate or fellow

☐ Associate

☐ Fellow

Membership number

Certificate of practice number

Note: Attention is drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

Modify

Check Form

Prescrutiny

Submit

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

Affix filing details

eForm filing date

(DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This e-Form is hereby registered

Confirm submission

Date of signing

(DD/MM/YYYY)

OR

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the filing company

F. No. 1/19/2013-CL-V

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Amardeep Singh Bhatia', with a horizontal line drawn across it.

29/10/2018
(Amardeep Singh Bhatia)
Joint Secretary

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 सितंबर, 2015

अधिसूचना

सा.का.नि. (अ). - केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) पठित धारा 398 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2011, उन बातों के सिवाए जिन्हें इस अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, अधिकांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 है।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;
- (ख) "उपाबंध" इन नियमों के साथ संलग्न उपाबंध से अभिप्रेत है;
- (ग) "दस्तावेज और प्ररूपों" से अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा फाइल करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों और प्ररूपों से अभिप्रेत है;
- (घ) "प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा (एक्सबीआरएल)" से अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों द्वारा वित्तीय सूचना प्रकट, सूचित या फाइल करने के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषित करने हेतु एक मानकीकृत भाषा से अभिप्रेत है;
- (ङ) "टेक्सोनॉमी" से इस नियम में उपदर्शित किसी दस्तावेज या प्ररूप के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित डाटा कारबार की रिपोर्ट करने के लिए एक्सबीआरएल में एक इलेक्ट्रानिक शब्दकोश से अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम और नियमों में हैं।

3. रजिस्ट्रार को वित्तीय कथन की फाइलिंग करना:- निम्नलिखित वर्गों की कंपनियां 01 अप्रैल, 2014 को और उसके बाद आरंभ होने वाले वित्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 के अधीन अपने वित्तीय विवरण और संलग्न करने हेतु अपेक्षित अन्य दस्तावेज रजिस्ट्रार को इन नियमों के साथ संलग्न उपाबंध-I में दी गई प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा (एक्सबीआरएल) वर्गीकरण विज्ञान (टेक्सोनोंमी) का उपयोग करते हुए इन नियमों के उपाबंध-II में दिए गए ई-प्ररूप एओसी-4-एक्सबीआरएल के साथ फाइल करेंगी अर्थात्:

- i. भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी कंपनियां और उनकी भारतीय अनुषंगी कंपनियां; या
- ii. वह सभी कंपनियां जिनकी संदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए या उससे अधिक है; या
- iii. वह सभी कंपनियां जिनका व्यापारावर्त सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक है।
- iv. वह सभी कंपनियां जो अब तक कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2011 के अधीन शामिल थीं

परंतु कि बैंककारी, बीमा, विद्युत सैक्टरों और गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा (एक्सबीआरएल) फाइल करने से छूट प्राप्त है।

4. केंद्र सरकार को लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट को फाइल करना:- लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करवाने की अपेक्षा वाली प्रत्येक कंपनी 01 अप्रैल, 2014 को और उसके बाद प्रारंभ होने वाले वित्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (6) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित अपनी लागत लेखापरीक्षक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज केंद्रीय सरकार को उपाबंध-III में दी गई प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा (एक्सबीआरएल) टेक्सोनोंमी का उपयोग करते हुए कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अंतर्गत निर्दिष्ट ई-प्ररूप सीआरए-4 में प्रस्तुत करेगी।

प्ररूप सं. ए ओ सी -4 एक्सबीआरएल

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 और
कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 12(2)
के अनुसरण में]



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रार को वित्तीय कथन और अन्य
दस्तावेजों के संबंध में एक्सबीआरएल
दस्तावेज को फाइल करने के लिए प्ररूप

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट देखें

टिप्पण - सभी * चिह्नित खानों को भरा जाना आज्ञापक है।

फाइल करने की तारीख को कंपनी की प्राधिकृत पूंजी

फाइल करने की तारीख को कंपनी के सदस्यों की संख्या

1. (क) *कंपनी का कॉर्पोरेट पहचान संख्या (पूर्व-भरें)

(ख) कंपनी का वैश्विक अवस्थान संख्या (जी एल एन)

2. (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

.....

(ग) *कंपनी का ई-मेल आईडी

3. * वित्तीय कथनों का वित्त वर्ष

से (दिन/मास/वर्ष) तक (दिन/मास/वर्ष)

4.(क)*निदेशक बोर्ड की बैठक की तारीख जिसमें वित्तीय विवरण अनुमोदित किए गए (दिन/मास/वर्ष)

(ख) (i) *वित्तीय कथनों की प्रकृति

(ii) पुनरीक्षण की प्रकृति 0 वित्तीय कथन 0 निदेशक रिपोर्ट 0 दोनों

(iii) क्या पहले अनंतिम वित्तीय विवरण फाइल किया गया था 0 हां 0 नहीं 0 लागू नहीं

(iv) क्या स्थगित साधारण अधिवेशन (एजीएम) में स्वीकार किया गया था 0 हां 0 नहीं 0 लागू नहीं

(v) स्थगित साधारण अधिवेशन (एजीएम) की तारीख जिसमें वित्तीय विवरण अपनाया गया था.....

(vi) प्ररूप आईएनसी-28 का एसआरएन

(vii) *प्ररूप एओसी-4/एओसी-4 और एक्सबीआरएल का एसआरएन.....

(viii) सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

5. (क) क्या वार्षिक साधारण अधिवेशन (एजीएम) आयोजित हुई 0 हां 0 नहीं 0 लागू नहीं

(ख) यदि हां तो, साधारण अधिवेशन (एजीएम) की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(ग) *साधारण अधिवेशन (एजीएम) की निर्धारित तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(घ) *क्या वित्तीय वर्ष या साधारण अधिवेशन (एजीएम) के लिए कोई समय विस्तार दिया गया है
0 हां 0 नहीं

(ड.) यदि हां, तो समय विस्तार के पश्चात् साधारण अधिवेशन (एजीएम) की निर्धारित तारीख
..... (दिन/मास/वर्ष)

6. *क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III लागू है 0 हां 0 नहीं

7. *उद्योग का प्रकार

8. *क्या समेकित वित्तीय कथन अपेक्षित है 0 हां 0 नहीं

9. (क) सरकारी कंपनी के मामले में क्या भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी की है या उसमें कुछ अनुपूरक किया गया है

0 हां 0 नहीं

(ख) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों या अनुपूरकों का विवरण दें -

--

(ग) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों पर निदेशक का उत्तर

--

(घ) क्या भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक- ने धारा 143 के अधीन अनुपूरक लेखापरीक्षा या परीक्षण लेखापरीक्षा की है 0 हां 0 नहीं

10. *क्या अनुसूचिवीय लेखापरीक्षा लागू है या नहीं 0 हां 0 नहीं

11. *क्या धारा 134(3) के अधीन निदेशक के रिपोर्ट के संबंध में विस्तृत प्रकटीकरण संलग्न है
0 हां 0 नहीं

संलग्नक

1.*धारा 134 के अनुसार सम्यक रूप से अधिप्रमाणित एक्सबीआरएल वित्तीय कथन (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज सहित)

संलग्न करें

संलग्नकों की सूची

2. समेकित वित्तीय कथन के संबंध में एक्सबीआरएल दस्तावेज

संलग्न करें

3. धारा 129 के अनुसार समनुषंगियों का विवरण - प्ररूप एओसी-1 (विदेशी समनुषंगियों के संबंध में संलग्न किया जाए)

संलग्न करें

4. वार्षिक साधारण अधिवेशन में तुलन पत्र अंगीकार नहीं करने संबंधी तथ्य और कारण का कथन

संलग्न करें

5. वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित नहीं करने संबंधी तथ्य और कारण का विवरण

संलग्न करें

6. वित्तीय वर्ष या वार्षिक असाधारण अधिवेशन के विस्तार का अनुमोदन पत्र

संलग्न करें

7. धारा 143 के अंतर्गत अनुपूरक या जांच लेखापरीक्षा रिपोर्ट

संलग्न करें

8. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के टिप्पणियों के ब्यौरे

संलग्न करें

9. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो

संलग्न करें

संलग्नक हटाएं

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल के संकल्प संख्या तारीख द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत हूं कि इस प्ररूप या इससे संबंधित मामलों की विषय-वस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बने नियमों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि:

1. उपर्युक्त दी गई सभी सूचना इस प्ररूप के संलग्नकों समेत सत्य, सही और पूर्ण है तथा इस प्ररूप से संबंधित कोई सूचना नहीं छिपाई गई है और कंपनी द्वारा अनुरक्षित मूल अभिलेखों के अनुसार है।
2. यह पुष्टि की जाती है कि सभी संलग्नक एक्सबीआरएल दस्तावेज सम्यक रूप से हस्ताक्षरित वित्तीय कथनों और सभी अन्य दस्तावेजों, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 के अधीन वित्तीय कथन के साथ संलग्न करना अपेक्षित है, की एक्सबीआरएल संपरिवर्तित प्रतियां हैं। यह भी पुष्टि की जाती है कि ऐसे दस्तावेज कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों का प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में भरा जाना) नियम, 2015 के अधीन यथा अधिसूचित एक्सबीआरएल वर्गीकरण विज्ञान (टेक्सोनॉमी) का उपयोग करते हुए तैयार किए गए हैं।
3. सभी अपेक्षित दस्तावेज इस प्ररूप के साथ पूर्ण और पठनीय रूप से संलग्न किए गए हैं।

*अंकीय हस्ताक्षर किए जाए

(डीएससी बॉक्स)

*पदनाम

*निदेशक का निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन); प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या प्राधिकृत प्रतिनिधि का डीआईएन या पैन; अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

वृत्तिक व्यावसायी द्वारा प्रमाण-पत्र

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप की विषय-वस्तु और उससे संबंधित मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अध्ययन किया है और मैंने उपरोक्त ब्यौरों (संलग्नकों सहित) का कंपनी/आवेदक द्वारा रखे गए मूल/प्रमाणित अभिलेखों, जो इस प्ररूप की विषय-वस्तु है, से सत्यापन किया है तथा उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप से संबंधित कोई सूचना छुपाई नहीं गई है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि -

1. उक्त अभिलेख कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा उचित रीति से तैयार और हस्ताक्षरित हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों के अनुसार रखे गए हैं तथा उन्हें ठीक स्थिति में पाया गया;
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न एक्सबीआरएल दस्तावेज, सभी संबंधित मामलों में, उचित रीति से कंपनी (प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में दस्तावेजों और प्ररूपों को फाइल करना) नियम, 2015 के अधीन यथाअधिसूचित कंपनी दस्तावेजों और प्ररूपों को विस्तारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना नियम, 2015 (एक्सबीआरएल) वर्गीकरण विज्ञान (टेक्सोनॉमी) के अनुसार कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की वस्तुस्थिति दर्शाते हैं;
3. सभी अपेक्षित दस्तावेज पूर्ण और पठनीय रूप से इस प्ररूप के साथ संलग्न किए गए हैं;
4. यह समझा गया है कि यदि किसी स्तर पर प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई का दायी रहूंगा।

0 चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या 0 लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या 0 कंपनी सचिव (पूर्णकालित व्यवसायरत)

सहबद्ध या फेलो 0 सहबद्ध 0 फेलो

सदस्यता संख्या

व्यवसाय संख्या का प्रमाण पत्र

टिप्पण: धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमशः मिथ्या कथन/प्रमाण पत्र के लिए शास्ति और मिथ्या साक्ष्य के लिए शास्ति का उपबंध है।

उपांतरित करें प्ररूप की जांच करें पूर्ण संवीक्षा जमा करें

कार्यालय उपयोग हेतु

फाइल ब्यौरे लगाएं

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

.....

ई-प्ररूप फाइल तारीख

..... (दिन/मास/वर्ष)

इस ई-प्ररूप को रजिस्टर किया जाता है

जमा की पुष्टि करें

हस्ताक्षर की तारीख

..... (दिन/मास/वर्ष)

या

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक तरीकें से और फाइल करने वाले कंपनी द्वारा दिए गए कथनों की सत्यता के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित फाइल में लिया गया है।

[फा.सं. 1/19/2013-सीएल-V]

अमरदीप
09/09/2018

(अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव